



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 1066 सन् 2026

श्रीमती लिहाजा बेगम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

....उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजेश कुमार, श्याम सिंह
उत्तरदातागण के अधिवक्ता : आनंद मोहन राय, सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया,

1. कुछ दलीलों के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना की है कि वर्तमान याचिका को आगे न बढ़ाने के आधार पर खारिज कर दिया जाए, और याचिकाकर्ता को एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।
2. प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
3. तदनुसार, रिट याचिका, माँगी गई स्वतंत्रता के साथ, आगे न बढ़ाने के आधार पर खारिज की जाती है।
4. आदेश की वह प्रमाणित प्रति, जो याचिका के साथ संलग्न की गई है, कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को उसकी छायाप्रति रखने के बाद उसे वापस कर दे।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

फ़रवरी 10, 2026

स्वाति

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"